अध्याय 2 (मैन्युअल - बी-iii)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

(The procedure followed in the decisin making process, including channels of supervision and accountability)

वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिये प्रकिया निर्धारित है। सामन्य जन से संबंधित विभिन्न प्रचलित प्रावधानों का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है :-

जंगली जानवरों द्वारा जनहानि अथवा पशुहानि -

जंगली जानवरों द्वारा जनहानि की घटना होने पर निम्न व्यवस्था परिचलित हैः-

(क) पशुहानि के प्रकरणों में घटना के 48 घंटे के अंदर नजदीकी परिक्षेत्र कार्यालय में आवेदन प्रेषित किया जाना अनिर्वाय है। क्षतिपूर्ति का भुगतान राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रवाधान के अनुसार किया जाता है।

(ख) जनहानि के प्रकरणों में निकटतम पुलिस थाने में सूचना दर्ज करना अनिवार्य होता है। राशि रूपये 1000 रूपये एक हजार मात्र तत्काल अग्रिम प्रदाय की व्यवस्था हैं तथा ऐसे प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 150000 (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) स्वीकृति की जाती है।

(ग) जन घायल चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर राशि रूपये 500 रूपये पांच सौ मात्र अग्रिम प्रदाय की जा सकती है एवं इलाज पर व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक माह की अवधि में क्षतिपूर्ति भुगतान अधिकतम राशि रूपये 30000 (तीस हजार रूपये मात्र) तक के भुगतान का प्रावधन हैं।

(घ) स्थाई रूप से अपंग होने पर राशि रूपये 100000 (एक लाख रूपये मात्र) एवं इलाज पर हुआ वास्तवित व्यय स्वीकृति करने का प्रावधान हैं।

आरा मशीनों का पंजीयन -

- आरा मशीनों के पंजीकरण के संबंध में वैधानिक प्रावधान मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 1984 की धारा 4,6 तथा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमनक्र नियम, 1984 की धारा 34 में निहित हैं ।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में वर्तमान में किन्हीं भी नयी आरा मशीनों का पंजीकरण किये जाने पर रोक है ।

वर्तमान में वर्ष 1996 की स्थिति में चल रहीं आरा मशीनों के ही स्वामित्व परिवर्तन की अवस्था में अन्तरण की अनुमति दी जाती है । यह अनुमति निम्न शर्तों के अधीन रहती है :-

1. आरा मशीन के स्थानान्तरण एवं नामांतरण की अनुमति उस अनुज्ञप्ति अधिकारी र्विनमण्डलाधिकारीक्रव्दारा जारी की जावेगी जिसके क्षेत्र में आरा मशीन स्थित हो।
2. यदि आरा मशीन का स्थानान्तरण किसी अन्य वन मण्डल के लिये आवेदित हो तो अनुमति जारी करने से पूर्व उस वन मण्डलाधिकारी की सहमति अनिवार्य होगी जिनके क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो।
3. यह अनुमति निम्न शर्तो के अधीन दी जावेगी :
   (क) विभिन्न प्रकार की मशीनों (बैंड सॉ, पीलिगं मशीन, स्लाइसर मशीन आदि) की संख्या मे वृध्दि / परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।
   (ख) प्रतिबंधित क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
   (ग) आरा मशीन की क्षमता में वृध्दि की अनुमति नहीं दी जावेगी।
   (घ) अनुज्ञप्ति के दो फाड़ (Splitting) की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(ङ) नामांतरण के प्रकरणों में भावी मालिक को आरा मशीन चालू करने से पूर्व वन विभाग अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी।

(च) ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा जिनके विरुध्द पूर्व में वन अपराध पंजीबध्द किये गये हों, या अन्य किसी कारण से उन्हें अयोग्य माना गया हो।

(छ) ऐसी आरा मशीनों के स्थानान्तरण / नामान्तरण / नवीनीकरण के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा जो मा. सर्वोच्च न्यायालय के 12-12-96 के आदेश के परिपालन में न्यायालय में प्रस्तुत सूची में शामिल नहीं हैं।

वन अपराध प्रकरण (पी.ओ.आर.) एवं उनका संधारण -

वन अपराध घटित होने की अवस्था में अपराधी के विरुध्द वन विभाग के व्दारा अपराध का संज्ञान लेने के लिये जो प्रतिवेदन सर्व प्रथम तैयार किया जाता है उसे पी ओ आर Preliminary Offence Report प्रािरंभिक अपराध प्रतिवेदनक्र कहते हैं। यह प्रतिवेदन अपराध प्रकरण का संज्ञान लेने वाले अधिकारी जो कि प्रायः वन रक्षक वनपाल व वन क्षेत्रपाल स्तर के होते हैं के व्दारा तैयार किया जाता है। इसमें वन अपराधी का नाम, किये गये अपराध का संक्षेप में विवरण, अपराधी से जप्तशुदा वनोपज, वाहन, औजार इत्यादि का विवरण दिया जाता है। इसके साथ मौका पंचनामा जप्तीनामा और अपराधी के व्दारा प्रकरण में चाहे जाने की अवस्था में वन विभाग कोदिये गये राजीनामा की प्रतियाँ भी संलग्न की जाती हैं।

वन वन अपराध का संज्ञान लेने के उपरान्त संज्ञान लेने वाले अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रकरण की सूक्ष्म जांच की जाती है और अपराध सिध्दपाये जाने पर न्यायालय में दिया जाता है या फिर अपराधी की इच्छा पर व्दारा ही रायल्टी कम्पन्सेशन तथा वाहन इत्यादि मूल्य लेकर प्रकरण किया जाता है । कम्पाउन्ड करने की प्रक्रिया पूरी तरह अपराधी की इच्छा पर निर्भर रहती है और इसके लिये अपराधी के व्दारा वर्णित तीनों राशियों का भुगतान किया जाना अनिवार्य रहता है । न्यायालयीन प्रकरण में मान० न्यायालय व्दारा पारित आदेश ही विधिवत प्रक्रिया अनुसार मान्य होता है।

- अपराध को न्यायालय अथवा विभाग व्दारा कम्पाउन्ड किये जाने पर ही प्रकरण समाप्त हुआ मान्य किया जाता है।
- पी.ओ.आर. प्रकरण में राजीनामा मान्य किये जाने के लिये अविर्निदिष्ट वनोपज के लिये उप वनमण्डलाधिकारी स्तर के अथवा विधि प्रक्रिया की परीक्षा उत्तीर्ण वन परिक्षेत्रधिकारी एवं विर्निदिष्ट वनोपज के लिये संबंधित वन मण्डलाधिकारी अधिकृत रहते हैं।
- जॉच के समय अभिलेख प्रायः क्षेत्र के परिक्षेत्र सहायक के पास अथवा वन क्षेत्रधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। जॉच उपरान्त प्रकरण के अनुसंधान एवं आगे की कार्यवाही हेतु यह समस्त अभिलेख उप वनमण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं।

परिवहन अनुज्ञा पत्र -

वनोपज के परिवहन के लिए सामान्यतः परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता रहती है। इसके संबंध में विस्तृत प्रावधान मध्य प्रदेश भारतीय अधिनियम 1927, मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट वनोपज व्यािपार विनियमन अधिनियम 1969, मध्य प्रदेश तेन्दूपत्ता अधिनियम 1964 और उनके अधीन बनाये गये विनियमन में किया गया है । म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम 2000 की धारा 4 में संशोधन 16 मई 2005, 21 दिसम्बर 2006, 11 अप्रैल 2007 के अनुसार :

(1) शासकीय वनोपज के पास वन विभाग के अधिकारियों व्दारा दिये जावेगें ।

(2) निम्न प्रजातियों के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी।

(1) नीलगिरी
(2) खमेर
(3) केजूरिना
(4) सुबबूल
(5) पॉपलर

(6) इज़राइली बबूल

(7) बबूल

(8) विलायती बबूल । आयातित / शंकुधारी काष्ठ जो म.प्र. में नहीं पायी जाती है चीड़, केल, देवदार, एवं पाइन।

(3) कुल्लू गोंद तथा लाख को छोड़कर हर्रा तथा अन्य समस्त प्रकार की गोंद, अविनिर्दिष्ठ लघु वनोपज परिवहन पास से मुक्त रहेंगे।

(4) कटंग बांस से भिन्न बांस के पास खण्डवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, सीधी जिले में वनाधिकारी व्दारा जारी किये जावेंगे, शेष जिलों में ग्राम पंचायत पास जारी करेगी।

(5) ग्राम पंचायत जिले के अन्दर परिवहन पास जारी करेगी। जिले के बाहर वनाधिकारी द्वारा पास जारी किये जावेगें।

(6) लोक वानिकी के प्राप्त वनोपज के पास भी उपरोक्तानुसार जारी हो।

(7) पास अभिलेख सहित आवेदन देने के 30 दिन में जारी किया जावेगा।

धारा 5 के अनुसार - अभिवहन पास जारी करने के लिये फीस नियत की गई है, जो निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वनोपज	शुल्क रूपये		
		प्रति ट्रक	प्रति ट्रेक्टर	प्रति बैलगाड़ी
1	इमारती काष्ठ/ साल बीज	100	50	10
2	जलाऊ लकड़ी	50	25	05
3	अन्य लघु वनोपज	25	10	02

परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रदाय - परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रदाय की व्यवस्था निम्नानुसार है -

(1) आवेदन का प्रस्तुतीकरण।

(2) वनोपज का सत्यापन वन मंडलाधिकारी या अधीनस्थ के द्वारा।

(3) परिवहन अनुज्ञा पत्र का प्रदाय।